

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी (राजस्व) टिब्बी, जिला हनुमानगढ़  
पीठासीन अधिकारी :- श्री सत्यनारायण आर.ए.एस.

मि०न० - 412/2025

अनवान : -

1. बलतेजसिंह पुत्र गुरनामसिंह जाति जटसिख निवासी मसानी त० टिब्बी ।

वादी

बनाम


1. रणदीपसिंह पुत्र बलतेज सिंह जाति जटसिख निवासी मसानी तहसील टिब्बी ।
2. परमजीत कौर पत्नी बलतेज सिंह जाति जटसिख निवासी मसानी त० टिब्बी ।

प्रतिवादीगण

आज यह वाद मुझ सत्यनारायण उपखण्ड अधिकारी टिब्बी के समक्ष अधिवक्ता वादी महावीर सिंह वर्मा व इन्द्रजीतसिंह अधिवक्ता प्रतिवादी की उपस्थिति में प्रस्तुत होने पर वाद वादी डिक्री किया जाकर घोषणा की जाती है कि चकनं० 23 एनजीसी के खाता सं० 10/14 में कुल 0.253 है० में से 1/4 हिस्सा, इसी चक के खाता सं० 11/155 में अंकित कुल 2.783 है० में 61/253 हिस्सा, इसी चक के खाता सं० 12/156 में दर्ज कुल 0.506 है० में 1/4 हिस्सा, चकनं० 23 एनजीसी के खाता सं० 13/34 में कुल 0.506 है० में से 1/4 हिस्सा, इसी चक के खाता सं० 16/12 में अंकित कुल 1.265 है० आराजी में कुल 1.265 है० आराजी में से 386/1265 हिस्सा, इसी चक के खाता सं० 17/11 में अंकित कुल 1.012 है० में से 127/1012 हिस्सा, इसी चक के खाता सं० 19/13 में कुल 0.253 है० में से रणदीपसिंह का 190/759 हिस्सा, इसी चक के खाता सं० 20/57 में अंकित कुल 2.783 है० आराजी में से 380/8349 हिस्सा, इसी चक के खाता सं० 121/44 में अंकित कुल 0.253 है० में से रणदीप सिंह का 1/3 हिस्सा, चकनं० 22 एनजीसी के खाता सं० 115/99 में अंकित कुल 2.783 है० में से 380/2783 हिस्सा, इसी चक के खाता सं० 72/42 में अंकित कुल 2.277 है० आराजी में से 52/253 हिस्सा, चकनं० 17 जीजीआर के खाता सं० 9/8 में अंकित कुल 0.759 है० आराजी में से रणदीपसिंह का 2/3 हिस्सा आराजी में प्रतिवादी सं० 1 रणदीप सिंह का नाम कलमजन किया जाकर उसके स्थान पर वादी को खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है। इसी अनुसार यदि कृषि भूमि बैंक रहन व किसी सक्षम न्यायालय का स्थगन आदेश न हो तो राजस्व रिकोर्ड में अंकन कर रिकोर्ड दुरुस्त किया जावे। खर्चा उभयपक्ष अपना-अपना वहन करें।

आज यह पर्चा डिक्री दिनांक 17/9/25 मेरे हस्ताक्षर एवं मुद्रा से जारी की गई।



  
उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)  
पदेन महायक कलेक्टर )  
टिब्बी R.A.S.  
उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)  
टिब्बी जिला हनुमानगढ़